झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

द्वादश (मानसून) सत्र

वर्ग–01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 09 श्रावण, 1945 (श0) / 31 जुलाई, 2023 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
01.	अ0सू0–29	श्री अमित कु0 मंडल	अनुमति देना	का0, प्र0 सुधार तथा राजभाषा	26.07.2023
(सापांबु-4328, दिनांबु-27.07.23 द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित)					
02.	अ0सू0–32	श्रीमती पुष्पा देवी	नौकरी देना	मंत्रि0 सचि0 एवं निगरानी	26.07.2023
(सापांबु-1009, दिनांबु-27.07.23 द्वारा जल संसाधन विभाग में स्थानांतरित)					
03.	अ0सू0–06	श्री बिरंची नारायण	तस्करी पर रोक लगाना	गृह,का0 एवं आपदा प्रबंधन	22.07.2023
04.	अ0सू0–30	श्री प्रदीप यादव	कार्रवाई करना	वित्त	26.07.2023
05.	अ0सू0–02	श्री विनोद कु0 सिंह	कार्य योजना बनाना	गृह, का0 एवं आपदा प्रबंधन	22.07.2023
06.	अ0सू0–22	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	कार्रवाई करना	का0,प्र0 सुधार तथा राजभाषा	24.07.2023
(सापांबु-4276, दिनांबु-26.07.23 द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित)					
07.	अ0सू0–17	श्री लोबिन हेम्ब्रम	भाषाओं को अनिवार्य करना	का0,प्र0 सुधार तथा राजभाषा	24.07.2023
(सापांबु-4277, दिनांबु-26.07.23 द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित)					

01	02	03	04	05	06
08.	अ0सू0-20	श्री राजेश कच्छप	परीक्षाफल का प्रकाशन कराना	का0, प्र0 सुधार तथा राजभाषा	24.07.202
09.	अ0सू0-26	श्री अमित कु0 यादव	विधि व्यवस्था नियंत्रित करना	गृह, का0 एवं आपदा प्रबंधन	26.07.202
10.	अ0सू0-09	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	जैमर लगाना	गृह,का0 एवं आपदा प्रबंधन	22.07.202
11.	अ0सू0-08	सुश्री अम्बा प्रसाद	आरक्षण देना	का0, प्र0 सुधार तथा राजभाषा	22.07.202
12.	अ0सू0-13	श्री सरयू राय	अधिकारियों का स्थानांतरण	का0, प्र0 सुधार तथा राजभाषा	24.07.202
13.	अ0सू0-21	डॉ0 लम्बोदर महतो	कानून बनाना	का0, प्र0 सुधार तथा राजभाषा	24.07.202
14.	अ0सू0-31	श्रीमती पुष्पा देवी	वेतनवृद्धि एवं प्रोन्नति देना	का0, प्र0 सुधार तथा राजभाषा	26.07.202
15.	अ0सू0-25	श्री संजीब सरदार	क्षेत्रीय भाषा को शामिल कराना	का0, प्र0 सुधार तथा राजभाषा	26.07.202
(आपांड-5310, दिनांड-26.07.23 द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित)					
16.	अ0सू0-24	श्री प्रदीप यादव	प्राकृतिक आपदा में शामिल करना	गृह, का0 एवं आपदा प्रबंधन	26.07.202
17.	अ0सू0-19	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	आरक्षण बढ़ाना	का0, प्र0 सुधार तथा राजभाषा	24.07.202
18.	अ0सू0-23	श्री सुदेश कु0 महतो	पदों की स्वीकृति देना	का0, प्र0 सुधार तथा राजभाषा	26.07.202
(आपांड-5311, दिनांड-26.07.23 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित).					
19.	अ0सू0-05	श्री बिरंची नारायण	स्थानांतरण करना	का0, प्र0 सुधार तथा राजभाषा	22.07.202
20.	अ0सू0-03	श्री अनन्त कुमार ओझा	समुचित उपाय करना	का0, प्र0 सुधार तथा राजभाषा	22.07.202
21.	अ0सू0-14	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	बराबर सुविधा देना	गृह, का0 एवं आपदा प्रबंधन	24.07.20
22.	अ0सू0-04	श्री भूषण तिर्की	एरियर देना	वित्त	22.07.20

(कृ0उ0पृ

01	02	03	04	05	06
23.	अ0सू0-07	श्री मथुरा प्रसाद महतो	भत्ता लागू करना	वित्त	22.07.2023
24.	अ0सू0-27	प्रो0 स्टीफन मरांडी	सातवें वेतनमान के अनुरूप वेतन भत्ता देना	मंत्रि0 सचि0 एवं निगरानी	26.07.2023
25.	अ0सू0-18	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करना	का0, प्र0 सुधार तथा राजभाषा	24.07.2023
26.	अ0सू0-28	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	प्रस्ताव लागू करना	का0, प्र0 सुधार तथा राजभाषा	26.07.2023
27.	अ0सू0-01	श्री विनोद कु0 सिंह	आयोग गठन करना	का0, प्र0 सुधार तथा राजभाषा	22.07.2023
28.	अ0सू0-10	श्री लोबिन हेम्ब्रम	अनुकरण करना	का0, प्र0 सुधार तथा राजभाषा	22.07.2023
#29.	अ0सू0-12	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	घोषणा करना	गृह, का0 एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2023
30.	अ0सू0-15	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	सुरक्षा कवच लगाना	गृह, का0 एवं आपदा प्रबंधन	24.07.2023
31.	अ0सू0-16	श्री सरयू राय	वर्षवार राशि दिखाना	वित्त	24.07.2023

नोट :-

* गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक-4269, दिनांक-25.07.2023 के द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को स्थानांतरित।

\# गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक-4271, दिनांक-25.07.2023 के द्वारा जल संसाधन विभाग को स्थानांतरित।

राँची,
दिनांक-31 जुलाई, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-02/2020-.....1995...../वि0स0, राँची, दिनांक-...28/07/23.....

प्रति :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/07/2023
(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0 पृ0 30

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-02/2020-.....1995...../वि0स0, राँची, दिनांक-....28/07/23.....

प्रति :-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रभारी सचिव महोदय के निजी सहायक को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

28/07/2023

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-02/2020-.....1995...../वि0स0, राँची, दिनांक-....28/07/23.

प्रतिः- कार्यवाही शाखा/बेवसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

28/07/2023

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

27/07/2023

माननीया स0वि0स0, श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा दिनांक 31.07.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0–32 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रं0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के महत्वपूर्ण उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना अंतर्गत बटाने जलाशय परियोजना वर्ष 1977–78 में शुरुआत की गई थी; इस योजना के लिए सरकार द्वारा नौडीहा बाजार प्रखण्ड के नावाडीह, गुलाबझरी एवं छत्तरपुर प्रखण्ड के दिनादाग, भंडारडीह, कउवल एवं धोबीडीह गाँव के रैयतों से तीन चरणों में क्रमशः 1977–78, 1983–84 एवं 1995–96 में कुल 3350 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया गया था ;	आंशिक स्वीकारात्मक। बटाने जलाशय योजना का निर्माण कार्य वर्ष 1976 में प्रारंभ किया गया था। योजना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) में प्रावधानित कुल 3350 एकड़ भूमि में से 1871.785 एकड़ रैयती भूमि है जिसके विरूद्ध 1655.63 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा विस्थापित परिवारों को 2700 एकड़ भूमि का मुआवजा भुगतान कर 750 एकड़ भूमि का मुआवजा भुगतान लंबित रखा गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। योजना हेतु कुल आवश्यक 1871.785 एकड़ रैयती भूमि के विरूद्ध 1655.630 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है एवं 204.365 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना शेष है। उक्त शेष भूमि के अधिग्रहण हेतु विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, उत्तर कोयल परियोजना, मेदिनीनगर को रू0 11749.69 लाख उपलब्ध करा दिया गया है। विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी के स्तर से उक्त 204.365 एकड़ भूमि का मुआवजा भुगतान प्राप्त करने हेतु भू–अर्जन के अधिनियम 2013 की धारा 37(2) का नोटिस तीन बार तामिला कराया गया है। नौडीहा बाजार अंचल अंतर्गत 2 ग्रामो नावाडीह एवं गुलाबझरी का भुगतान जारी है। छत्तरपुर अंचल अंतर्गत 4 ग्रामो का संबंधित रैयतों के द्वारा भू स्वामित्व (LPC)/ वंशावली प्रमाण पत्र एवं अन्य राजस्व कागजात विशेष भू–अर्जन कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित रैयतों को कर दिया जायेगा।
3.	क्या यह बात सही है कि 46 विस्थापित परिवारों को वन भूमि पर 25 डी० जमीन दी गई है, लेकिन वन पट्टा नहीं दिये जाने से वे लोग सरकार के कल्याणकारी योजनाओ के लाभ से वंचित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। योजना अंतर्गत 46 नहीं, अपितु 39 विस्थापित परिवारों को मांडर पुनर्वास स्थल पर 25–25 डी० जमीन वन भूमि पर दी गई है। वन विभाग द्वारा उक्त भूमि का हस्तांतरण अब तक नहीं किया गया है। यह काफी पुराना मामला है तथा अभी संज्ञान में आया है। जल संसाधन विभाग द्वारा वन विभाग के साथ समन्वय

		स्थापित करते हुए, उक्त भूमि का वन पट्टा विस्थापितों को दिलाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बटाने डैम के विस्थापित परिवारों को 750 एकड़ भूमि के बकाये मुआवजा का भुगतान करते हुए वन पट्टा देने के साथ–साथ झारखण्ड पुनरीक्षित पुनर्वास नीति, 2012 के कंडिका–9.2 के तहत नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	योजना अंतर्गत डूब क्षेत्र के 6 ग्रामो के शेष 204.365 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करते हुए सम्बंधित भू–धारियों को मुआवजा राशि भुगतान करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। झारखण्ड पुनरीक्षित पुनर्वास नीति, 2012 की कंडिका–9.2 के अनुसार स्वीकृत रिक्त बल के विरुद्ध नियुक्ति में विस्थापितों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 4226 /राँची, दिनांक– 30.07.2023

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं0–1947, दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स०	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।
	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में गौ हत्या पर प्रतिबन्ध है;	स्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम, 2005" के द्वारा राज्य में गौ हत्या पर प्रतिबन्ध लागू है।
02	क्या यह बात सही है कि राँची, बोकारो, धनबाद, पाकुड़, लोहरदगा सहित कई जिलों में गौ तस्करी और गौ हत्या कर इनके माँस का व्यापार किये जाने की घटनाएँ सामने आई है;	राज्य के विभिन्न जिलों में गौ तस्करी और गौ हत्या कर इनके माँस का व्यापार किये जाने की घटनाएँ सामने आने की सूचना कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को उपलब्ध नहीं है। उक्त "झारखण्ड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम, 2005" को व्यापक तरह से लागू किये जाने हेतु कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के पत्रांक–1024 दिनांक– 07.07.2017 के द्वारा सभी उपायुक्त झारखण्ड, सभी पुलिस अधिक्षक, झारखण्ड, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड को झारखण्ड में गो हत्या, पशु तस्करी एवं पशु कूरता रोकने हेतु निदेशित किया गया है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार व्यापक जनहित तत्काल उक्त जिलों में गौ हत्या प्रतिबन्ध कानून को कठोरता से पालन करवाते हुए इसका प्रचार–प्रसार करवाने का विचार रखती है, ताकि गौ तस्करी पर लगाम लगे और गौ मॉस का व्यापार पूर्णतः बंद हो सके, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड, राँची के द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पशुओं पर क्रूरता दंडनीय अपराध होने की सूचना का प्रचार–प्रसार किये जाने निमित्त चार–चार होर्डिंग झारखंड राज्य के प्रमण्डल/राज्य की सीमा पर लगाई गई है ताकि जनमानस को जागरूक किया जा सके। इसके अतिरिक्त राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड, राँची के द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 से संबंधित जानकारी मुहईया कराने हेतु राज्य के सभी पशु चिकित्सकों, पुलिस पदाधिकारी, गो सेवा आयोग के प्रतिनिधि हेतु कार्यशाला का आयोजन कर प्रशिक्षित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक–6 विविध (अ०सू०प्रश्न) (1)–11/2023 प०पा०/ 943 / राँची, दिनांक–30.07.2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 1661/वि०स०, राँची, दिनांक–23.07.2023 के आलोक में उत्तर की कुल 200 प्रतियाँ सहित/संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.07.23

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6 विविध (अ०सू०प्रश्न) (1)–11/2023 प०पा०/ 943 / राँची, दिनांक–30.07.2023

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (विधायी), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.07.23

सरकार के उप सचिव

(5)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2022 में महिला अत्याचार से सम्बधित 2366 केस ट्रायल में फेल हो गए 2662 आरोपी बरी हो गए, बलात्कार और पोक्सो में सजा का दर 25% से कम है ;	वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2022 में महिला अत्याचार से संबंधित कुल–1330 काण्डों का न्यायालय द्वारा विचारण किया गया है। जिसमें 579 दोषी व्यक्ति को सजा सुनाई गई है। केवल 315 काण्डों में अभियुक्त दोषमुक्त किये गये हैं, जिनकी संख्या–1561 है। बलात्कार एवं पोक्सो में सजा की दर 25.18% है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के 90% थानों में एक भी महिला दरोगा पद स्थापित नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में कुल–564 थाना है, जिसमें कुल 187 थानों में महिला दरोगा पदस्थापित है। उल्लेखनीय है विभागीय अधिसूचना संख्या–3906, दिनांक–25.06.2015 द्वारा राज्य के 24 थानों को महिला एवं बाल (संरक्षण) थाना के रूप में अधिसूचित किया था। तदोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या–251, दिनांक–28.01.2016 द्वारा राज्य में कुल–41 (उपर्युक्त अधिसूचित 24 तथा पुलिस अनुमण्डल के लिए 17) महिला एवं बाल संरक्षण थानों को पूर्ण थानों के रूप में अधिसूचित किया गया। विदित हो कि विभागीय अधिसूचना संख्या–3906, दिनांक–25.06.2015 द्वारा ही सरकार द्वारा यह भी निदेशित किया गया है कि उपलब्धता के अनुसार वरीय महिला पुलिस अवर निरीक्षक को इस थाना के थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित किया जायेगा। साथ ही अन्य स्तर के पुलिस पदाधिकारी/पुलिसकर्मी के पदस्थापन के क्रम में यह ध्यान रखा जायेगा कि इन थानों में महिलाओं की संख्या अधिक हो।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार पर रोक लगाने और दर्ज अनुसंधान में सत्य पाए गए मामलों में दोषियों को सजा दिलाने हेतु विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है; हॉ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–04/2023–3429/ राँची, दिनांक–30/07/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1662, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री राजेश कच्छप, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 20 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए अन्य विषयों के साथ जनजातीय भाषा 'हो' एवं क्षेत्रीय भाषा–कुरमाली में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2018 में प्रारंभ हुई थी;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि आयोग द्वारा नियमानुसार रिक्त पदों से तीन गुना अधिक अभ्यर्थियों को मेघा के अनुसार चयन कर साक्षात्कार के उपरान्त किसी अज्ञात कारण से हो विषय का परीक्षाफल लम्बी अवधि से लम्बित है एवं कुरमाली विषय का परीक्षाफल रद्द कर दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। आयोग के निर्णय अनुसार विज्ञापन संख्या 04/2018 अन्तर्गत 'हो' एवं 'कुरमाली' विषयों के लिये सम्पन्न साक्षात्कार को रद्द कर दिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा आयोग को 'हो' विषय का परीक्षाफल यथाशीघ्र प्रकाशन करने का निर्देश दिया गया है;	स्वीकारात्मक। मामला माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2023 तक परीक्षाफल प्रकाशित किये जाने से संबंधित आदेश के विरूद्ध आयोग द्वारा Review Application दायर किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि आयोग 'हो' एवं कुरमाली विषय के परीक्षाफल का प्रकाशन करना चाहता है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. 'हो' विषय का मामला माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2023 तक परीक्षाफल प्रकाशित किए जाने से संबंधित आदेश के विरूद्ध दायर की जा रही Review Application के क्रम में दिए जानेवाले आदेश के आलोक में आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। 2. 'कुरमाली' विषय हेतु यथाशीघ्र पुनः साक्षात्कार आयोजित कर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा।

कृ0पृ0उ0/–

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–27/2023 का0 4340 /राँची दिनांक– 28/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1802 दिनांक 24.07.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियो मे सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री अमर कुमार, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/23

सरकार के अवर सचिव।

e:\section 11\jharkhand vidhan sabha\jharkhand viddhan sabha question ka uttar.docx

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि राजधानी समेत पूरे राज्य में विगत 03 वर्षो में अपराधिक घटनाओं में निरन्तर वृद्धि दर्ज की जा रही है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
राज्य में विगत 03 वर्षो (वर्ष 2020, 2021, 2022 एवं 2023 के माह मई तक) में दर्ज कांडो का अपराध आँकड़ा निम्न प्रकार है:–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>हत्या</th><th>डकैती</th><th>लूट</th><th>गृह भेदन</th><th>बलात्कार</th><th>कुल संज्ञेय अपराध</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>1880</td><td>120</td><td>675</td><td>1604</td><td>1796</td><td>63861</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>1860</td><td>124</td><td>702</td><td>1729</td><td>1617</td><td>60732</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>1772</td><td>113</td><td>718</td><td>1935</td><td>1611</td><td>64393</td></tr>
<tr><td>2023 (माह मई तक)</td><td>731</td><td>44</td><td>214</td><td>726</td><td>633</td><td>26495</td></tr>
</table>
अपराध आँकड़ा अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2020 एवं 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में हत्या, डकैती एवं बलात्कार शीर्ष में काफी कमी आई है, जबकि लूट एवं गृहभेदन के कांडो में आंशिक वृद्धि हुई है। कुल संज्ञेय आपराधिक मामलों में वर्ष 2020 की तुलना मे वर्ष 2021 में कमी, जबकि वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में वृद्धि हुई है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि दिनांक–19.07.2023 से 21.07.2023 की बैठक में डी0जी0पी0 को अपराध नियंत्रण पर आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया है;</td><td>स्वीकारात्मक।
दिनांक–21.07.2023 की बैठक आहूत की गई थी।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य में विगत 01 वर्षो में 500 हत्या, बलात्कार और लूट तथा बैंक अपराध की घटना में वृद्धि हुई है;</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि विगत एक वर्ष (माह जून 2021 से माह मई 2022 तक) में हत्या के 1784 कांड प्रतिवेदन हुए थे, जबकि वर्तमान एक वर्ष (माह जून 2022 से माह मई 2023 तक) में हत्या के 1798 का प्रतिवेदित हुए है इस शीर्ष से मामूली वृद्धि हुई है।
विगत एक वर्ष (माह जून 2021 से माह मई 2022 तक) में बलात्कार के 1651 का प्रतिवेदित हुए थे, जबकि वर्तमान एक वर्ष (माह जून 2022 से माह मई 2023 तक) में बलात्कार के 1578 कांड प्रतिवेदित हुए हैं, इस शीर्ष में कमी आई है।
विगत एक वर्ष (माह जून 2021 से माह मई 2022 तक) में लूट के 679 का प्रतिवेदित हुए थे जबकि वर्तमान एक वर्ष (माह जून 2022 से माह मई 2023 तक) में लूट के 652 का प्रतिवेदित हुए है, इस शीर्ष में भी कमी आई है।
विगत एक वर्ष (माह जून 2021 से माह मई 2022 तक) में बैंक अपराध के 06 कांड प्रतिवेदित हुए थे जबकि वर्तमान एक वर्ष (माह जून 2022 से माह मई 2023 तक) में बैंक अपराध के 05 कांड प्रतिवेदित हुए है, इस शीर्ष में भी कमी आई है। जिसे निम्न आँकड़ों में देखा</td></tr>
</table>

जा सकता है:–

वर्ष	हत्या	बलात्कार	लूट	बैंक डैकती	बैंक लूट
विगत एक वर्षीय अवधि (माह जून, 2021 से मई, 2022 तक)	1784	1651	679	02	04
वर्त्तमान एक वर्षीय अवधि (माह जून, 2022 से मई, 2023 तक)	1798	1578	652	04	01

दिनांक–15.07.2023 से 28.07.2023 तक आतंकवाद निरोधी दस्ता द्वारा संगठित अपराध के विरूद्ध की गई कार्रवाई की विवरणी निम्न है:–

Total raided places	191
Total persons detained	60
Total Persons bound down	60
Total no. of arrest made	13
Total no. of recoveries	Arms- 06 Magazine- 08 Ammunition- 08 Cash- 49,83,000/- Mobiles- 10 Vehicles- 03 (1 Scorpio + 02 Motorcyles)

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विधि व्यवस्था को नियंत्रण हेतु क्या संबंधित थाना एवं जिला पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक निदेश देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–33/2023–4374/ राँची, दिनांक– 30/07/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1915, दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जेलों में लगे जैमर उन्नत तकनीकी से लैस नहीं है या फिर 4G फोन नेटवर्क पर बेअसर है। 2G तकनीक होने के कारण जेलों में कैदी 4G फोन नेटवर्क का उपयोग कर फोन/विडियों कॉल करते है ;	राज्य के विभिन्न काराओं में 2G Jammers वर्ष 2010–11 में अधिष्ठापित किये गये थे। चूँकि ये 2G Jammers है इसलिए ये इससे Higher Generation की frequency-3G/4G इत्यादि पर प्रभावी नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जेलों में उन्नत तकनीक से लैस 4G/5G फोन नेटवर्क जैमरों का उत्क्रमण नहीं होने के कारण जेल में बंद अपराधियों/कैदियों के द्वारा मोबाइल फोन का दुरूपयोग कर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है ;	राज्य के काराओं में 4G Jammers के अधिष्ठापन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। काराओं में मोबाईल फोन जैसे प्रतिबंधित उपकरणों के प्रवेश को रोकने हेतु अन्य प्रभावी सुरक्षात्मक उपाय किए गए है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य के सभी जेलों में शीघ्र उन्नत तकनीक से लैस 4G/5G फोन नेटवर्क जैमर लगाने का विचार रखती है, हॉ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के काराओं में 4G Jammers के अधिष्ठापन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०(अ०सू०)–806/2021–4370/ राँची, दिनांक– 29/07/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1660, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–08 का उत्तर प्रतिवेदन। (11)

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में 60–40 नियोजन नीति का व्यापक विरोध स्थानीय लोगो द्वारा किया जा रहा है तथा अभी तक इस मामले में अंतिम निर्णय नही लिया गया है;	अस्वीकारात्मक। *झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019* द्वारा *झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001* की धारा 4 में संशोधन कर निम्नवत् राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण प्रावधानित है:– 4(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियाँ, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हो, निम्नलिखित रूप से विनियमित की जाएगी, यथा– (क) खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि से – 40 प्रतिशत (ख) आरक्षित कोटि से – 60 प्रतिशत 4(2) आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण होंगी :– (क) अनुसूचित जाति – 10 प्रतिशत (ख) अनुसूचित जनजाति – 26 प्रतिशत (ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)– 08 प्रतिशत (घ) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) – 06 प्रतिशत (ङ) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)– 10 प्रतिशत कुल 60 प्रतिशत उपर्युक्त आरक्षण के अनुरूप राज्य की सेवाओं एवं पदों में नियुक्ति की कार्रवाई संपन्न की जा रही है। उपरोक्त आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि से संबंधित **"झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022"** झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–11.11.2022 को पारित किया गया है। सम्प्रति अग्रतर विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार देश के अन्य राज्यों की भांति झारखण्ड के अभ्यार्थियों को राज्य में होने वाली नियुक्ति में 90% आरक्षण प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–40/2023 का0–4321/ रांची, दिनांक 27/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–1657, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/07/2023
(अमर कुमार)
सरकार के उप सचिव।

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 31.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–13 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों के स्थानान्तरण पदस्थापन से संबंधित भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–सा0का0नि0–67(अ0), दिनांक 28.01.2014 के आलोक में झारखण्ड सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने दिनांक 13 फरवरी 2015 को अधिसूचना जारी कर सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन किया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सिविल सेवा बोर्ड न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पूर्व स्थानान्तण हेतु प्रस्तावित अधिकारियों के मामलों की जाँच करेगा ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि विगत तीन वर्षों से इस संवर्ग के कई अधिकारियों का स्थानान्तरण न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने के पूर्व हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बताएगी की गत 3 वर्ष में न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने के पूर्व कितने अधिकारियों का स्थानान्तरण हुआ है, इसका कारण क्या है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?	विगत तीन वर्षों यथा–2020, 2021 एवं 2022 में न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने के पूर्व क्रमशः 65, 69 एवं 80 भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया है। सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक में समीक्षोपरान्त भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के कई पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने के पूर्व किया गया है। अतः इसके लिए कोई पदाधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–1/न्या0वि0स0–1104/2023 का–4342/राँची, दिनांक 28/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1805 दिनांक 24.07.2023 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/7/23
(विनोद कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

डॉ0 लम्बोदर महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–21 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा कई विधेयक यथा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति/अ0ज0जा0व0अ0जा0 के आरक्षण में 02% तथा पिछड़ा जातियों के आरक्षण में 27% वृद्धि करने से संबंधित विधेयक/अ0ज0जा0 तथा अ0जा0 के कर्मियों को प्रोन्नति में 50% आरक्षण देने से संबंधित विधेयक विधान–सभा से पारित किया जा चुका है किन्तु अब तक न तो कानून बन पाया है ओर न तो राज्य में लागु हो पाया है;	अंशतः स्वीकारात्मक। 1. आरक्षण प्रतिशत निम्नवत् निर्धारण हेतु **"झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022"** झारखण्ड विधान सभा द्वारा पारित है:– (क) अनुसूचित जाति – 12 प्रतिशत (ख) अनुसूचित जनजाति – 28 प्रतिशत (ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)– 15 प्रतिशत (घ) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) – 12 प्रतिशत (ङ) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)– 10 प्रतिशत कुल 77 प्रतिशत 2. **"झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022"** झारखण्ड विधान सभा द्वारा पारित है। 3. **"राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक, 2022"** झारखण्ड विधान सभा द्वारा पारित है। उपर्युक्त तीनों विधेयक के संदर्भ में अग्रतर विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विधेयकों को कानून बनाकर राज्य में लागू करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–44/2023 का0–...../ रांची, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–1828, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–44/2023 का0–...../ रांची, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उत्तर सामग्री को ऑनलाइन झारखण्ड विधान सभा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–44/2023 का0–4352/ रांची, दिनांक 28.07.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–11, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/23
सरकार के अवर सचिव।

माननीय स०वि०स० श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा दिनांक 31.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–31 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के पूर्व मुख्य सचिव श्री एल० दयाल की अध्यक्षता में गठित कमिटि की अनुशंसा एवं उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित आदेश (एस०सी०सी०, 2001) तथा झारखण्ड मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के पश्चात् झारखण्ड सेवा संहिता में राज्य सरकार द्वारा 6 मार्च 2002 को संसोधन कर एक अधिसूचना जारी किया गया था, जिसमें राज्य के किसी कर्मचारी/पदाधिकारी के खिलाफ अपराधिक मामला लंबित हो या जाँच जारी हो उस स्थिति में किसी कर्मचारी/पदाधिकारी का वेतन वृद्धि एवं प्रोन्नति नहीं रोकी जा सकती है; (ज्ञापांक–36/क०–15–106/2002, दिनांक–06 मार्च, 2002)	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सेवा संहिता में हुए संशोधन की अधिसूचना जारी होने के बाद भी राज्य में कर्मचारी/पदाधिकारियों पर लंबित अपराधिक मामले (जिसमें जाँच जारी हो) में वेतन वृद्धि एवं प्रोन्नति नहीं दिया जा रहा है, जिसमें कई सेवानिवृत्त हो चुके है एवं कई सेवानिवृत होने वाले है;	झारखण्ड सेवा संहिता में इस तरह का संशोधन नहीं किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य/जिले के सभी वैसे कर्मचारी/पदाधिकारियों जिनपर अपराधिक मामले लंबित हो (या जाँच जारी हो) उन्हें अधिसूचना संख्या– (ज्ञापांक–36/क–15–106/2002, दिनांक–06 मार्च, 2002) के आलोक में वेतन वृद्धि एवं प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–22/2023 का०–4367 राँची, दिनांक– 29. 07. 2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–1948 दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/2023

(ब्रज माधव)
सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–31.07.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू0–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स०	**श्री बन्ना गुप्ता, माननीय विभागीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग**
(1) क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार के संकल्प संख्या–1055, दिनांक–16.09.2015, संकल्प संख्या–969, दिनांक–25.10.2018 एवं संकल्प संख्या–184, दिनांक–13.03.2021 द्वारा कई घटनाओं को यथा सर्पदंश, पानी में डूबने की घटना एवं सड़क दुर्घटना इत्यादि को आपदा घोषित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार खलिहान में रखा "धान का फसल" या खलिहान में रखा अन्य कृषि उपज जो किसानों के घर में उपज जाने का अंतिम चरण है, जल जाने पर या वर्षा से नष्ट हो जाने पर आपदा की घटना में नही रखने के कारण किसानों को क्षतिपूर्ति से वंचित रहना पड़ता है;	गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–33-03/2020-NDM-I(Vol-II), दिनांक–10.10.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के निमित्त निर्गत मद एवं मानदण्ड के अन्तर्गत इस प्रकार की आपदा के लिए क्षतिपूर्ति का उल्लेख नही है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार किसानों के हित में विचार करते हुए खलिहान में रखे धान का फसल एवं अन्य कृषि उपज को जल जाने या वर्षा से नष्ट होने को भी प्राकृतिक आपदा अथवा विशिष्ट स्थानीय आपदा की श्रेणी में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	विषयांकित मामले में अन्य राज्यों से विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित करने संबंधी संकल्प/परिपत्र/अधिसूचना की माँग की गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/विधायी(तारांकित)–28/2023–आ०प्र०–632/राँची, दिनांक–28.07.2023

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/2023

(अमरेश कुमार नीरज)
विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Yogesh1\Rashmi Ma'am\Letter.docx 133

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–19 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम आरक्षण प्राप्त हो रहा है;	पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े विभाग में उपलब्ध नहीं हैं।
2	क्या यह बात सही है कि राज्यस्तरीय पदों में पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण प्राप्त है जिसमें 17 जिलों के जिलास्तरीय पदों में पिछड़ा वर्ग को 07% से 27% तक आरक्षण प्राप्त हो रहा है जबकि 07 जिलों में आरक्षण शून्य है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि EWS को राज्य एवं जिलास्तरीय पदों में 10% आरक्षण प्राप्त है जबकि EWS की जनसंख्या 10% से कम होने के बावजूद इस कोटि के अभ्यार्थियों को राज्य एवं जिलास्तरीय पदों में 10% आरक्षण मिल रहा है;	अंशतः स्वीकारात्मक। 103वें संविधान संशोधन के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में आरक्षण प्रदान करने हेतु झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019 (झारखण्ड अधिनियम–13, 2019) के द्वारा 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या पिछड़ा वर्ग को राज्यस्तरीय पदों में 27% एवं जिलास्तरीय पदों में जिलों की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि निम्नवत आरक्षण प्रतिशत निर्धारण हेतु **"झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022"** को झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–11.11.2022 को पारित किया गया है:– (क) अनुसूचित जाति – 12 प्रतिशत (ख) अनुसूचित जनजाति – 28 प्रतिशत (ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)– 15 प्रतिशत (घ) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) – 12 प्रतिशत (ङ) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)– 10 प्रतिशत कुल 77 प्रतिशत सम्प्रति अग्रतर विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए जिला स्तरीय पदों की सीधी नियुक्ति में 10% आरक्षण का प्रावधान करने हेतु अन्य आरक्षित वर्गों के आरक्षण प्रतिशत में बिना किसी परिवर्तन के संकल्प सं0–2020, दिनांक–09.04.2010 में संशोधन करते हुए जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु 100 बिन्दुओं का संशोधित आरक्षण रोस्टर संकल्प सं0–1617, दिनांक–17.03.2023 के माध्यम से निर्गत किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–43/2023 का0–4319/ रांची, दिनांक 27.07.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–1827, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.7.23
(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम – श्री सुदेश कुमार महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं०–1016 (अनु०), दिनांक–01.03.2017 के आलोक में संविदा के आधार पर सभी जिलों एवं प्रखण्डों में विभिन्न पदों पर 600 से अधिक पदाधिकारी /कर्मी की नियुक्ति पदवर्ग समिति के स्वीकृति के बगैर किया गया है।	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अधिसूचना सं०–1016(अनु०) दिनांक–01.03.2017 के आलोक में कुल 598 पदों को विभाग के स्तर से स्वीकृत किया गया।
2.	क्या यह बात सही है कि पिछले 6 वर्षों से अधिक समय से इन पदाधिकारियों/कर्मियों से बहुत कम मानदेय पर कार्य लिया जा रहा है।	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना सं०–1016(अनु०), दिनांक–01.03.2017 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के क्षेत्रीय कर्मियों का मानदेय निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष कार्य संतोषजनक पाये जाने पर 5% वार्षिक वृद्धि दिये जाने का प्रावधान है।
3	क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी के पदों की स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा नहीं होने के कारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1284/वि०, राँची, झारखण्ड, दिनांक–03.05.2023 के कंडिका 6 में वर्णित संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ इन पदाधिकारियों/कर्मियों को नहीं मिल पा रहा है।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी के पदों की स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

30.07.2023
(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–10–वि०स०–38/2023/ग्रा०वि०– 3119 , राँची, दिनांक :– 30/07/2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–1912, दिनांक–26.07.2023 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

30.07.2023
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–38 / 2023 / ग्रा०वि०– 3119, राँची, दिनांक :– 30/07/2023

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव / श्री सुदेश कुमार महतो, मा०स०वि०स० के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30.07.2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–38 / 2023 / ग्रा०वि०– 3119, राँची, दिनांक :– 30/07/2023

प्रतिलिपि :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–4311(अनु०), दिनांक–26.07.2023 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

30.07.2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–38 / 2023 / ग्रा०वि०– 3119, राँची, दिनांक :– 30/07/2023

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

30.07.2023

सरकार के अवर सचिव।

माननीय स०वि०स० श्री विरंची नारायण द्वारा दिनांक 31.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–05 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि बोकारो सहित राज्यभर में प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, निबंधन कार्यालय, डीपीएलआर कार्यालय सहित राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का लंबे समय से स्थानांतरण नहीं हुआ है, जिससे कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 5–6 वर्षों से अधिक समय से एक ही कार्यालय अंन्तर्गत पदस्थापित और प्रतिनियुक्त हैं;	इस संबंध में संबंधित प्राधिकारों से सूचना प्राप्त की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है, कि जिला स्तर में इन कर्मचारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति जिला स्थापना की बैठक के निर्णय के आधार पर वर्ष में 2 बार होती है, बावजूद इसके आज भी बोकारो सहित राज्य के कई जिलों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में कार्यरत कई कर्मचारी (लिपिक, नाजीर, आदेशपाल, ऑफिस असिस्टेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, इत्यादि) 5–6 वर्षों से अधिक एक ही कार्यालय में कार्यरत हैं;	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अधिसूचना संख्या–1519 दिनांक–08.12.2017 के अनुसार स्थानान्तरण एवं पदस्थापन वर्ष में साधारणतः केवल एक बार माह जुन–जुलाई में किये जायेंगे। इस प्रश्न के द्वितीय भाग के संबंध में संबंधित प्राधिकारों से सूचना प्राप्त की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि कई कर्मचारी तो ऐसे भी हैं, जिनका नियुक्ति काल से लेकर अब तक जिला के एक प्रखण्ड से दूसरे प्रखण्ड में स्थानांतरण नहीं हुआ है, जिससे ये कर्मचारी एक प्रखण्ड के एक ही कार्यालय में कार्य करते हुए निरंकुश हो जाते हैं और पब्लिक के साथ मनमाना रवैया अपनाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा हैं;	उपर्युक्त खण्ड–1 के अनुसार।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापिक जनहित में इसी वित्तीय वर्ष में बोकारो सहित राज्यभर के विभिन्न जिलों और अंचलों/प्रखंडों में पदस्थापित ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए तत्काल इनको स्थानांतरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करने का अनुरोध संबंधित प्राधिकारों से किया गया है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–18/2023 का.–4366/राँची, दिनांक– 29/07/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–1658 दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/2023
(ब्रज माधव)
सरकार के अवर सचिव।

माननीय स०वि०स० श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा दिनांक 31.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–03 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2021 मे राज्य के सभी विभागों में अनुबंध के रूप में कार्यरत कर्मियों से संबंधित नियमावली के गठन हेतु सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति की गठन की गई थी;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि 10 वर्षों से सेवा देने वाले सभी विभागों यथा प्रखण्ड स्तरीय मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय तक में सेवा नियमित करने का सरकार द्वारा घोषणा किया गया था;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार वाद में संसूचित न्यायनिर्णय के आलोक में राज्यान्तर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु शर्त्त एवं प्रक्रिया का निरूपण कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या–1348 दिनांक–13.02.2015 (यथा संशोधित अधिसूचना संख्या–4871 दिनांक–20.06.2019) द्वारा अधिसूचित 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015' में किया गया है। उक्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में संबंधित विभागों के द्वारा नियमानुसार योग्य कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की कार्रवाई की जाती है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य अन्तर्गत विभिन्न विभाग के सभी संवर्गों में अनुबंध कर्मियों व आउट सोर्सिंग (प्रखण्ड स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय में कार्यरत कर्मी) के माध्यम से सेवा ली जा रही है;	इस संबंध में संबंधित प्राधिकारों से सूचना प्राप्त की जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित नियमावली का गठन करते हुए उक्त कर्मियों के सेवा नियमित करने और आउट सोर्सिंग माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत युवाओं के मानसिक व दैहिक शोषण को रोकने हेतु समुचित उपाय करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–19/2023 का०–4362/राँची, दिनांक– 29.07.2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–1659 दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/2023
(ब्रज माधव)
सरकार के अवर सचिव।

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य में वनांचल आंदोलनकारियों एवं जे०पी० आंदोलनकारियों को सम्मान भत्ता दिया जाता है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि वनांचल आंदोलनकारियों को दिए जानेवाली सम्मान भत्ता 5000 रूपया को एक अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 7000 रूपया कर दी गई है, जबकि दोनों आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण राज्य सरकार के संकल्प संख्या–10/विविध 1013/2008 खंड II 4669 दिनांक–30.07.15 के अंतर्गत आयोग द्वारा किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। 1. विभागीय संकल्प सं०–2108, दिनांक–07.05.2012 द्वारा झारखण्ड/वनांचल अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को निम्नरूपेण सम्मान पेंशन दिये जाने हेतु प्रावधान किया गया था :– (क) कारा में छः माह से कम संसीमित रहने पर ₹ 3000/- प्रतिमाह (ख) कारा में छः माह से अधिक संसीमित रहने पर ₹ 5000/- प्रतिमाह उक्त संकल्प को विलोपित करते हुए, विभागीय संकल्प संख्या–1938, दिनांक–20.04.2021 द्वारा झारखण्ड आंदोलनकारियों/आश्रितों को और अधिक सम्मानजनक पेंशन देने निमित निम्नांकित प्रावधान किये गये है :– (i) कारा में संसीमित आंदोलनकारियों को उनके जीवनकाल एवं मृत्यु होने पर उनके एक आश्रित को जीवनकाल तक सम्मान पेंशन निम्नरूपेण दिया जाएगा :– (a) कारा में तीन माह से कम संसीमित रहने पर ₹ 3,500/– (तीन हजार पाँच सौ रूपये) प्रतिमाह। (b) कारा में तीन माह से छः माह के बीच संसीमित रहने पर ₹ 5,000/–(पाँच हजार रूपये) प्रतिमाह। (c) कारा में छः माह से अधिक संसीमित रहने पर ₹ 7,000/–(सात हजार रूपये) प्रतिमाह। 2. विभागीय संकल्प संख्या–4669, दिनांक–30.07.2015 राज्य सरकार द्वारा जयप्रकाश आंदोलन (18 मार्च 1974 से 21 मार्च, 1977) में भाग लिए राज्य के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने/सुविधायें देने हेतु निम्न प्रावधान किये गये है :– (a) उक्त आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में मृत अथवा कारा में संसीमन अवधि में मृत आंदोलनकारी के पति/पत्नी को ₹ 5000/–(पाँच हजार) रूपये मासिक सम्मान पेंशन दिया जा रहा है। (b) उक्त आंदोलन के दौरान मीसा एवं डी०आई०आर० में छः माह से अधिक कारा में संसीमित रहे आंदोलनकारी को ₹ 5,000/–(पाँच हजार रूपये) मासिक का सम्मान पेंशन दिया जा रहा है। (c) उक्त आंदोलन के दौरान मीसा एवं डी०आई०आर० में छः माह तक कारा में संसीमित रहे आंदोलनकारी को ₹ 2500/–(दो हजार पाँच सौ रूपये) मासिक का सम्मान पेंशन दिया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जे०पी० आंदोलनकारियों को वनांचल आंदोलनकारियों के बराबर सम्मान भत्ता एवं पारिवारिक पेंशन तथा पारिवारिक चिकित्सा सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–711/2023-3422/ राँची, दिनांक 29/07/2023।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1807, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री भूषण तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 31.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–04 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है, कि केन्द्रीय कर्मियों को केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी, 2020 के 4 प्रतिशत जुलाई, 2020 के 3 प्रतिशत एवं जनवरी, 2021 के 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता (DA) अर्थात कुल महंगाई भत्ता 11 प्रतिशत दी गई है ;	यह बात सही नहीं है कि केन्द्रीय कर्मियों को केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी, 2020 के 4 प्रतिशत जुलाई, 2020 के 3 प्रतिशत एवं जनवरी, 2021 के 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता (DA) अर्थात कुल महंगाई भत्ता 11 प्रतिशत दी गई है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य के सरकारी सेवकों एवं पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता अनुमान्य किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए महँगाई भत्ता को रोक (Freeze) दिया गया। पुनः भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या– 1/1/2020-E.II(B) दिनांक 20.07.2021 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर 17%, जो 01 जुलाई 2019 के प्रभाव से था , को बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मियों का 01 जनवरी 2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता 42% अनुमान्य है।
क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार द्वारा भी राज्य कर्मियों को जनवरी, 2020 के 4 प्रतिशत जुलाई, 2020 के 3 प्रतिशत एवं जनवरी, 2021 के 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) का एरियर नहीं दिया गया है ;	यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों को जनवरी, 2020 के 4 प्रतिशत जुलाई, 2020 के 3 प्रतिशत एवं जनवरी, 2021 के 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) का एरियर नहीं दिया गया है, क्यूंकि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की नीति का अनुसरण किया है, जिससे जनवरी, 2020 से जनवरी, 2021 तक की अवधि का महँगाई भत्ता रोक (Freeze) दिया गया था ।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार खण्ड–2 में वर्णित समयावधि का एरियर झारखण्ड राज्य के कर्मियों को देने का विचार रखती है, हाँ; तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भारत सरकार, वित्त विभाग (व्यय), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के पत्रांक 1/1/2020-E-II(B) दिनांक 23.04.2020 द्वारा COVID-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की महँगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महँगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई, 2021 तक रोकने (Freeze) का निर्णय लिया गया है। उक्त पत्र के अनुसार 1 जनवरी, 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया

	(Arrear) नहीं दिया जाएगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या–1/1/2020-E.II(B) दिनांक 20.07.2021 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवॉ वेतनमान) में दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर को 17% (सत्रह प्रतिशत) से बढ़ाकर 28% (अट्ठाईस प्रतिशत) करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1598/वि॰ दिनांक 28.07.2021 द्वारा केन्द्र के अनुरूप राज्य कर्मियों का दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर को 17% (सत्रह प्रतिशत) से बढ़ाकर 28% (अट्ठाईस प्रतिशत) करने का निर्णय लिया गया है। चूँकि केंद्र सरकार के कर्मियों एवं पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2020 से 30 जून 2021 तक की समयावधि का बकाया (Arrear) नहीं देने का निर्णय लिया गया है, अतएव उक्त अवधि का बकाया राज्य सरकार के कर्मियों नहीं दिया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10/वि॰स॰ (4)–16/23 2289/वि० राँची/दिनांक: 28.07.2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 1664/वि०स०, राँची, दिनांक 22.07.2023 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.7.23

(अखौरी शशांक सिन्हा)
संयुक्त सचिव

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 31.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–07 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड सरकार में केन्द्र सरकार के तर्ज पर सरकारी कर्मियों के लिए सप्तम् वेतनमान लागू है;	यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार में केन्द्र सरकार के तर्ज पर सरकारी कर्मियों के लिए केन्द्रीय सेवा शर्तों सहित सप्तम् वेतनमान लागू है।
क्या यह बात सही है, कि भारत सरकार के पत्रांक–A&2712/02/2017& ESH-(AL) Block-iv, OLD JNU Comrty New Delhi Dated 16th/17th July 2018 के कंडिका 2(a) एवं (b) में केन्द्रीय कर्मियों को children education Allowance के तहत प्रतिमाह 2250/- रूपये दिया जाता है;	यह बात सही है कि भारत सरकार के पत्रांक–A-27012/02/2017-Estt.(AL) Dated 16th /17th July 2018 द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को 02 (दो) जीवित संतान के लिए Children Education Allowance की प्रतिपूर्ति के लिए 2250/-रूपये प्रतिमाह प्रति संतान दिया जाता है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड में केन्द्र सरकार की तर्ज पर children education Allowance लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	6th केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2008 में केन्द्रीय कर्मियों के अधिकतम 02 (दो) संतान के लिए Children Education Allowance प्रति माह प्रति संतान 1000/-रूपये अनुमान्य किया गया, जिसे वर्ष 2014 में बढ़ाकर 1500/-रूपये किया गया । पुन 7th केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2017 में बढ़ाकर इसे 2250/-रूपये प्रतिमाह प्रति संतान किया गया है । वर्तमान में राज्य सरकार के कर्मियों को संतान शिक्षण भत्ता (Children Education Allowance) अनुमान्य नहीं है। चूँकि राज्य सरकार के कर्मियों को संतान शिक्षण भत्ता (Children Education Allowance) अनुमान्य करना राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। इस संबंध में प्रथम दृष्टया अन्य पड़ोसी राज्यों में सरकारी कर्मियों को Children Education Allowance देने का प्रावधान नहीं है, फिर इससे संबंधित सभी वित्तीय पहलू एवं अन्य राज्यों में प्रभावी नियमों का अध्ययन किया जा रहा है। Children Education Allowance से संबंधित नियम / आदेश की प्रति उपलब्ध कराने हेतु वित्त विभागीय पत्रांक 601/वि० दिनांक 27.02.2023 द्वारा बिहार / उत्तर प्रदेश / छत्तीसगढ़ /पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के वित्त विभाग को अनुरोध किया गया है। पुनः वित्त विभागीय पत्रांक 2240/वि० दिनांक 25.07.2023 द्वारा संबंधित राज्य के वित्त विभागों को

	स्मारित किया गया है। सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार राज्य सरकार सरकारी कर्मियों को Children Education Allowance देने पर विचार कर सकती है ।

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10/वि.स. (4)–15/23 2288/वि० राँची/दिनांक: 28/07/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 1665/वि०स०, राँची, दिनांक 22.07.2023 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.7.23

(अखौरी शशांक सिन्हा)

संयुक्त सचिव

प्रो० स्टीफन मरांडी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–27 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और दर्जा प्राप्त मंत्री की निजी स्थापना में कार्यरत सरकारी कर्मियों को सातवें वेतन का लाभ मिल रहा है ;	**स्वीकारात्मक।**
2.	क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और दर्जा प्राप्त मंत्री की निजी स्थापना में को–टर्मिनस के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मीगण को सातवें वेतनमान के अनुरूप बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर वर्षों से लम्बित है ;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की निजी स्थापना में को–टर्मिनस के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मीगण (पूर्व मुख्यमंत्री/मंत्री के निजी सहायक को छोड़कर) को 7वें वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि विभागीय स्तर पर अनावश्यक पृच्छा, आनाकानी रवैया एवं Pick and Choose के कारण माननीयों की निजी स्थापना में को–टर्मिनस के आधार पर कार्यरत सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	**अस्वीकारात्मक।**
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और दर्जा प्राप्त मंत्री की निजी स्थापना में को–टर्मिनस के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप वेतन एवं अन्य भत्ता देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	दर्जा प्राप्त मंत्री की निजी स्थापना में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मीगण को 7वें वेतनमान का लाभ प्रदान करने हेतु अन्य राज्य में लागू प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। यह मामला प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

ज्ञापांक – *सी०एस०–01/विधानसभा–01/2023* 1005/ राँची, दिनांक 27.07.23

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–1916, दिनांक–26.07.2023 के आलोक में, उत्तर सामग्री की यथेष्ट प्रतियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव
27.07.23

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–18 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति वर्ग के सभी 22 उपजाति के छात्र–छात्राओं एवं युवाओं को शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है;	अंशतः स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि ज्ञापांक–14 झा0वि0स0–07–61/2021 का0 4453/दिनांक–03.09.2021 में अंकित किया गया है कि विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 की कंडिका 13 के प्रावधानों के अनुसार कंडिका 6(ख) में उल्लिखित भू अभिलेख/रेकर्ड ऑप राइटस/भूमि निबंधन कागजात के आधार पर जाति का निर्धारण प्रायः किया जाता है। उक्त अभिलेख के नहीं होने की स्थिति/संशय में अथवा आवेदक के भूमिहीन होने की स्थिति में स्थानीय जाँच की प्रक्रिया अपनाकर जाति का निर्धारण करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के गोड्डा, देवघर, टाटानगर, बोकारो, धनबाद आदि शहरों में 60 से 70 वर्ष पूर्व भूमिहीन लोग कम्पनी, रेल या सरकारी जमीन परिवार के साथ रहकर जीविका चला रहे है जिसके कारण उनके पास दिनांक–10.08.1950 से कोई भू निबंधन कागजात नहीं है ;	संबंधित जिलों से निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है:– 1. गोड्डा– समय–समय पर सुयोग्य भूमिहीन श्रेणी के लाभुकों के साथ गृहस्थल बन्दोवस्ती नियमानुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया जाता रहा है। 2. देवघर–ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। 3. पूर्वी सिंहभूम– स्वीकारात्मक 4. बोकारों–स्वीकारात्मक। 5. धनबाद – स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लम्बे वर्षो से झारखण्ड में रह रहे भूमिहीन अनुसूचित जाति वर्ग के छात्राओं एवं युवाओं को शिक्षा एवं सरकारी नौकरी हेतु जिला स्तर पर निर्देश देकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 की कंडिका 13 के प्रावधानों के अनुसार झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा से आच्छादित कोई व्यक्ति इस राज्य में स्वतः आरक्षण की सुविधा पाने के लिए अधिकृत नहीं है। परिपत्र की कंडिका–6 (घ) में उल्लिखित भू–अभिलेख/रेकर्ड ऑफ राइटस/भूमि निबंधन कागजात, जिस अभिलेख के आधार पर जाति का निर्धारण प्रायः किया जाता है, के नहीं होने की स्थिति/संशय की स्थिति में अथवा आवेदक के भूमिहीन होने की स्थिति में स्थानीय जाँच की निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर जाति का निर्धारण करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। उक्त परिपत्र सभी जिले के उपायुक्तों को पूर्व से प्रेषित है तथा विभागीय वेबसाइट www.dopjharkhand.gov.in पर भी उपलब्ध है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–42/2023 का0–4387/रांची, दिनांक 29/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–1803, दिनांक–24.07.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.7.23

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–28 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि भूईहर मुण्डा, खुँटकटी मुण्डा, कम्पाट मुण्डा, चीक बड़ाईक, भुइंया (पाईक), लोहरा एवं करमाली समुदाय को राज्य के कुछ जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र हासिल करने में कठिनाई हो रही है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य हेतु अनुसूचित जनजाति की सूची में भूईहर मुण्डा, खुँटकटी मुण्डा एवं कम्पाट मुण्डा जाति सूचीबद्ध नहीं है। चीक बड़ाइक, लोहरा एवं करमाली जाति झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। भुईया जाति अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है तथा पाईक जाति पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) में सूचीबद्ध है। जो जातियाँ झारखण्ड राज्य हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) में सूचीबद्ध हैं, उन्हें प्रभावी नियमों के तहत संबंधित जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ समिति (TAC) की उपसमिति, जिसके अध्यक्ष श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा थे, 13.08.2019 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया की (क्रमांक–2) वि जहाँ भूईहर मुण्डा, खुँटकटी मुण्डा, कम्पाट मुण्डा, चीक बड़ाईक, लोहरा एवं करमाली समुदाय के चिन्हित ग्राम है, समिति द्वारा लिपिकीय भूल मानते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को इसे संशोधन करने हेतु अनुशंसा किया गया था;	वस्तुस्थिति यह है कि भुईहर मुण्डा, खूटकटी मुण्डा, कपाट मुण्डा, लोहार, घटवाल एवं चीक बड़ाईक जातियों की अनुसूचित जनजाति की मान्यता के संबंध में मूल्यांकन हेतु झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् की उपसमिति का गठन किया गया था। झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् की उक्त के सम्बन्ध में अनुशंसा/मंतव्य प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
3	क्या यह बात सही है कि 2019 में झारखण्ड सरकार के कैबिनेट द्वारा भुईया जाति की सभी उपाधि प्राप्त जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ देने के प्रस्ताव पारित किया गया था ;	स्वीकारात्मक। मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–21.02.2019 में झारखण्ड की भुईयाँ जाति की उपजातियाँ क्षत्रीय, पाईक, खंडित पाईक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रीय, खण्डित भुईयाँ, तथा गड़ाही/गरही को भुईयाँ जाति के पर्यायवाची के रूप में अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई थी। तदोपरान्त विभागीय पत्रांक–2163, दिनांक–07.03.2019 के द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उक्त अनुशंसा भेजते हुए इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अपने पत्र दिनांक–22.09.2022 के द्वारा राज्य सरकार की अनुशंसा का समर्थन भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के द्वारा नहीं किए जाने की सूचना देते हुए प्रस्ताव की पुनर्समीक्षा करने अथवा भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय की टिप्पणी के आलोक में प्रस्ताव के समर्थन में और औचित्य प्रदान करने का

		रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची से प्रतिवेदन की मांगी की गई है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का जाति प्रमाण पत्र बनाने में हो रही कठिनाईयों तथा खतियान में हुई लिपिकीय त्रुटियों का समाधान करने एवं कैबिनेट द्वार 2019 में पारित प्रस्ताव को लागू करने पर विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–45/2023 का0–...../ रांची, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–1911, दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–45/2023 का0–...../ रांची, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को उत्तर सामग्री को ऑनलाइन झारखण्ड विधान सभा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–45/2023 का0–4353/ रांची, दिनांक 28.07.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–11, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/23

सरकार के अवर सचिव।

श्री बिनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–01 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य सेवा गारण्टी की अधिनियम 2011 की धारा 10 में राज्य लोक सेवा परिदान आयोग के गठन का प्रावधान है ; जो इस अधिनियम की पूर्ति के लिए कार्य करेगी ;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि अधिसूचना के 12 वर्ष बाद भी लोक सेवा परिदान आयोग का गठन नहीं हुआ है, जिससे इस अधिनियम के उद्देश्य का कार्य पूर्ण होने में बिलम्ब हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	''झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारन्टी अधिनियम, 2011'' की धारा–10 के अनुसार ''राज्य सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, विहित संरचनायुक्त एक राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन करेगी, और उसे इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिये कृत्य सौंपेगी अथवा किसी कार्यरत आयोग को इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राधिकृत करेगी। उक्त हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि0स0प्र0–08–04 / 2023 का 4278 दिनांक 26/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के ज्ञाप सं0–1655 दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री अमर कुमार, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/07/2023

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

(28)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–31.07.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि संविधान के अनुच्छेद–5 अधिवास भारतीय नागरिकता के संदर्भ में परिभाषित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि खंड–1 में वर्णित अधिवास के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद–16 (3) में प्रावधान है कि किसी भी राज्यों के लिये संसद Law बना सकती है जिसके तहत् राज्य के स्थानीय व्यक्तियों को किसी भी वर्ग के लिये नियोजन दे सकती है तथा इस संदर्भ में राज्य को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पहल करनी होती है;	स्वीकारात्मक। विधि विभाग के पत्रांक–1748, दिनांक–28.07.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त के संदर्भ में यह बात सही है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 16 (3) में वर्णित प्रावधान अनुच्छेद 16 (1) एवं 16 (2) का अपवाद स्वरुप है तथा वर्णित संदर्भ बिंदु में/पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदत्त है।
3	क्या यह बात सही है कि अनुच्छेद–16 (3) में प्रावधानिक शक्ति का प्रयोग कर आंध्रप्रदेश राज्य के पहल पर भारत के संसद ने सन 1957 में " लोक नियोजन (निवास संबंधी उपेक्षा) अधिनियम, 1957" उपबंध कर अनुच्छेद–371 (D) की व्यवस्था दी है जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुकरणीय है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विधि विभाग के पत्रांक–1748, दिनांक–28.07.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त के संदर्भ में यह बात सही है कि भारत का संविधान (32वां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा (01.07.1974) अंतःस्थापित अनुच्छेद 371–घ. आन्ध्रप्रदेश एवं तेलांगना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करती है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 एवं 3 में वर्णित विषय की गंभीरता के मद्येनजर आंध्रप्रदेश राज्य के संदर्भ में अपने Constitutional Liabilities का अनुकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–11.11.2022 को "झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022" पारित किया गया है। उक्त विधेयक की धारा 6(क) निम्नवत है:– "इस अधिनियम के तहत पहचाने गये स्थानीय व्यक्ति ही राज्य सरकार के वर्ग–3 और वर्ग–4 के पदों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।" उल्लेखनीय है कि झारखण्ड विधान सभा से उपर्युक्त वर्णित विधेयक के पारित होने के उपरान्त अनुवर्ती विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–41/2023 का0–4359/ रांची, दिनांक 29/07/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–1656, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.7.23

(संजय कुमार रजक)
सरकार के उप सचिव।

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा॰स॰वि॰स॰ द्वारा दिनांक–31.07.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ॰सू॰–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स०	**श्री बन्ना गुप्ता, माननीय विभागीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग**
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मॉनसून की आहट के साथ ही वज्रपात का सिलसिला शुरू हो जाता है ;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में अभी खेती–बाड़ी का समय है और इससे किसानों एवं विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का वज्रपात के चपेट में आने की आशंका ज्यादा होती है ;	स्वीकारात्मक।
(3) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विद्यालयों एवं सरकारी भवनों में सुरक्षा कवच (तड़ित चालक) नहीं है ;	इस प्रभाग से संबंधित नहीं है।
(4) क्या यह बात सही है कि राज्य में अभी तक वज्रपात से 50 लोगों की मौत हो चुकी है;	वित्तीय वर्ष 2022–23 में वज्रपात से कुल 258 लोगों की मृत्यु हुई है।
(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी विद्यालयों, सरकारी भवनों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा कवच (तड़ित चालक) लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यो?	इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), नई दिल्ली से तड़ित चालक लगाने के बिन्दु पर आवश्यक मार्गदर्शन की माँग की गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07 / विधायी(अ॰सू॰)–30 / 2023–आ०प्र०–629 / राँची, दिनांक–28.07.2023

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/2023

(अमरेश कुमार नीरज)
विशेष कार्य पदाधिकारी

श्री सरयू राय, स०वि०स० द्वारा दिनांक 31.07.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–16 की उत्तर सामग्री :–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के वार्षिक बजट आवंटन का बड़ा भाग वित्तीय वर्ष के अंत तक खर्च नहीं हो पाता है और इसका खासा हिस्सा पी०एल० अकाउंट में जमा कर दिया जाता है;	वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू० 91,277.00 करोड़ (एकान्वे हजार दो सौ सतहत्तर करोड़ रूपये) का बजट उपबंधित था, जिसके विरूद्ध रू० 77864.88 करोड़ (सतहत्तर हजार आठ सौ चौसठ करोड़ रूपये) की राशि व्यय की गयी, जो कुल उपबंध का 85.31% है । वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू० 1,01,101.00 करोड़ (एक लाख एक हजार एक सौ एक करोड़ रूपये) का बजट उपबंधित था, जिसके विरूद्ध रू० 91,637.82 करोड़ (एकान्वे हजार छः सौ सैंतीस करोड़ रूपये) की राशि व्यय की गयी, जो कुल उपबंध का 90.64% है । इस प्रकार बजट उपबंध के विरूद्ध व्यय प्रतिशत में वृद्धि हो रही है । झारखण्ड कोषागार का नियम 261 (b) तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 118/वि० दिनांक 12.01.2007 के माध्यम से बोर्ड/निगम/स्वायत्तशासी निकायों को राज्य सरकार द्वारा दी गयी अनुदान की राशियों को पी०एल० अकाउंट में रखा जाना प्रावधानित है । इन संस्थाओं को बजट शीर्ष से पी०एल० अकाउंट में राशि दी जाती है एवं इनके द्वारा पी०एल० अकाउंट के माध्यम से ही व्यय किया जा सकता है ।
2.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 और 2022–23 में बजट आवंटन की क्रमशः 71.86%, 82%, 80.54% और 75% राशि ही खर्च हो पाई थी और प्रत्येक वर्ष व्यय की राशि में से 10,000 करोड़ से अधिक पी०एल० अकाउंट में जमा दिखाया गया है;	

वित्तीय वर्ष	बजट उपबंध के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	पी०एल० अकाउंट में हस्तांतरित की गयी राशि (करोड़ में)	पी०एल० अकाउंट के माध्यम से व्यय की गयी राशि (करोड़ में)
2019–20	82.80%	10,447.62	11,088.27
2020–21	85.51%	12,274.45	9,638.19
2021–22	85.31%	10,246.04	11,022.02
2022–23	90.64%	17,023.16	14,162.63

3.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022–23 में व्यय वार्षिक बजट में से करीब 15,000 करोड़ पी०एल० अकाउंट जमा हुआ है;	वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल रू० 1,01,101 करोड़ (एक लाख एक हजार एक सौ एक करोड़ रूपये) राशि का बजट उपबंध किया गया था । उक्त वित्तीय वर्ष में कुल रू० 17,023.16 करोड़ (सतरह हजार तेइस करोड़ रूपये) राशि पी०एल० अकाउंट में हस्तांतरित की गयी, तथा इस वर्ष पी०एल० अकाउंट से रू० 14,162.62 करोड़ (चौदह हजार एक सौ बासठ करोड़ रूपये) राशि का व्यय किया गया है ।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी की बजट की पूरी राशि उसी वित्तीय वर्ष में व्यय नहीं होने का क्या कारण है और विगत 10 वर्षो से वर्षवार व्यय बजट में से कितनी राशि पी०एल० अकाउंट में जमा दिखाई जाती रही है ?	किसी वित्तीय वर्ष के लिए बजट का निर्धारण उस वर्ष होने वाली अनुमानित आय एवं व्यय के आधार पर की जाती है । यह एक प्रकार का आकलन होता है तथा आकलन के आधार पर उपबंधित बजट की राशि का शतप्रतिशत व्यय नहीं हो पाता है । तथापि वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करते हुए व्यय के प्रतिशत में विगत वर्षों में वृद्धि की गयी है इस संबंध में विभाग प्रयासरत है । विगत 10 वर्षो में पी०एल० अकाउंट में जमा तथा पी०एल० अकाउंट के माध्यम से व्यय की गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है :–

वित्तीय वर्ष	पी०एल० अकाउंट में हस्तांतरित की गयी राशि (करोड़ में)	पी०एल० अकाउंट के माध्यम से व्यय की गयी राशि (करोड़ में)
2013-2014	2613.94	2970.85
2014-2015	5155.09	4422.64
2015-2016	12054.22	10166.20
2016-2017	8406.87	4136.44
2017-2018	12694.02	8979.76
2018-2019	9875.32	8730.74
2019-2020	10447.62	11088.27
2020-2021	12279.45	9683.19
2021-2022	10246.04	11022.02
2022-2023	17023.16	14162.63
TOTAL	**100795.73**	**85362.74**

बोर्ड / निगम / स्वायत्तशासी निकायों के लिए झारखण्ड कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के

		आलोक में पी०एल० अकाउंट खोलते हुए राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि संधारित की जाती है । नियम 334 के आलोक में लगातार दो वित्तीय वर्ष तक पी०एल० अकाउंट में संधारित अवशेष राशि को राजकोष में प्रत्यर्पित करने का प्रावधान है, जिसके क्रम में वित्त विभाग के द्वारा निरन्तर समीक्षा की जा रही है एवं पी०एल० अकाउंट की अवशेष राशि को राजकोष में प्रत्यर्पित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक :– 10/वि0स0(4)–20/2023 .....2299/वि० राँची दिनांक 28/7/23

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

28.07.2023

(अविनाश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।